

दिनांक:- 17-03-2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल न देना कहा तथा इस आशय का पृष्ठांकन आदेशपत्रक एवं अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर किया। अतः बल ना देने के कारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 132/2026 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार की जाए।

(रामबाबू यादव)  
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी एक्ट

चन्दौली ।